भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग

अणुशक्ति भवन
छ.शि.म.मार्ग
मुंबई- 400 001

संदर्भ-सं.1/7/99/आईआरएंडडब्ल्यू/200 27 जुलाई 2000

कार्यालय ज्ञापन

विषय : परमाणु ऊर्जा विभाग में अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना - कुछेक प्रावधानों का उदारीकरण

इस विभाग के 22 जनवरी, 1998 के कार्यालय ज्ञापन सं. - 7/55/94/सीएचएसएस/आईआर एंड डब्ल्यू/37 द्वारा 1 फरवरी, 1998 से संशोधित अंशदायी स्वास्थ्य सेवाएं योजना प्रारंभ की गई थीं । उपरोक्त योजना में कुछेक प्रावधानों को उदार बनाये जाने का मामला विभाग में विचाराधीन रहा है । तदनुसार, राष्ट्रपति दिनांक 1 अगस्त, 2000 से प्रभावी उक्त योजना के निम्नलिखित प्रावधानों से संबंधित संशोधनों को अनुमोदित करते हैं :-

खंड सं.	वर्तमान स्थिति	संशोधन
2.1.6	उक्त योजना के अंतर्गत पंजीकृत ऐसे कर्मचारी के परिवार के सदस्यगण, जिसे लोकहित में, अस्थायी रूप से अथवा अन्य कारणों से, मुंबई के बाहर लेकिन परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत यूनिटों में स्थानांतरित किया गया हो परंतु वे मुंबई में ही रह रहे हों तथा कर्मचारी द्वारा पहले की तरह ही समान दर से अंशदान जारी रखा गया हो।	" **लोकहित** " शब्दों को हटा दिया गया है।
2.1.10 (iii)	ऐसे कर्मचारीगण, जो स्वैच्छिक रूप से सेवा निवृत्त हो रहे हैं, उक्त योजना के अंतर्गत पंजीयन जारी रखने हेतु पात्र होंगे बशर्ते कि वे अंशदान की सामान्य दर से तिगुनी दर पर बढ़ा हुआ	ऐसे कर्मचारीगण, जो स्वैच्छिक रूप से सेवा - निवृत्त हो रहे हैं, उक्त योजना के अंतर्गत पंजीयन जारी रखने हेतु पात्र होंगे बशर्ते कि वे सामान्य दर से तिगुनी दर पर बढ़े हुए अंशदान अदा करते हों । *तथापि, 30 वर्ष की अर्हक सेवा सहित सेवा निवृत्त कर्मचारियों को सामान्य दर पर अंशदान अदा करना होगा*

	अंशदान अदा करते हों, तथापि, निदेशक, बीएआरसी पात्र मामलों जैसे घरेलू मजबूरियों, अस्वस्थता आदि के कारण ली गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आदि में बढ़े हुए अंशदान के भुगतान के संबंध में शर्त में रियायत दे सकते हैं।	*और जिनकी सेवाएं इससे कम हैं परंतु 25 वर्ष की सेवा वाले कर्मचारी को सामान्य दर से दुगुना अंशदान देना होगा*। तथापि, निदेशक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र/उक्त योजना को संचालित करने वाला प्राधिकारी पात्र मामलों जैसे घरेलू मजबूरियों, अस्वस्थता आदि के कारण ली गई स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति आदि में बढ़े हुए अंशदान के भुगतान के संबंध में शर्त में रियायत दे सकते हैं ।
2.1.10 (iv)	सेवा निवृत्त कर्मचारियों के मामले में इसका लाभ कर्मचारियों तथा उनकी पति/पत्नी तक सीमित रखा जाएगा।	इस खंड को हटाया जाता है और *सेवा निवृत्त कर्मचारी के संबंध में परिवार की परिभाषा खंड 4.1 में दर्शाए अनुसार, अर्थात पति/ पत्नी तथा पात्र बच्चे/माता-पिता होगी।*
3.1	जबकि बृहन्मुंबई से अन्य किसी स्थान पर, विभाग का कर्मचारी अथवा उसके परिवार के सदस्य किसी भी ऐसे पंजीकृत प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर से मेडिकल अटेंडेंस/उपचार लेने के पात्र होंगे जिसके पास भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त योग्यता हो। उक्त पात्रता सीएस (एमए)नियम 1944 के अधीन विनियमित की जाएगी।	जबकि बृहन्मुंबई से अन्य किसी स्थान पर, विभाग का कर्मचारी अथवा उसके परिवार के सदस्य किसी *प्राधिकृत मेडिकल अटेंडेंट* से चिकित्सा उपचार लेने के पात्र होंगे । उक्त पात्रता सीएस (एमए) नियम 1944 के अधीन विनियमित की जाएगी।
4.1(ख)	ऐसे बच्चे, सौतेले बच्चे अथवा कानूनी रूप से गोद लिए गए 25 वर्ष तक के अधिकतम दो बच्चे। 18 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष की आयु तक के बच्चे इस योजना के अंतर्गत तब तक पात्र रहेंगे जब तक कि वे नियोजित नहीं हो जाते। तथापि, किसी प्रकार की कठिनाई की स्थिति में अलग-अलग मामलों में ऊपरी आयु सीमा में यूनिट के प्रधान की सिफारिश के आधार पर विभाग द्वारा छूट दी जाएगी।	ऐसे बच्चे, सौतेले बच्चे अथवा कानूनी रूप से गोद लिए गए 25 वर्ष तक के अधिकतम दो बच्चे । *बच्चों की संख्या में वृद्धि पर प्रत्येक अतिरिक्त बच्चे के लिए एक अतिरिक्त अंशदान का भुगतान किया जा सकता है। तथापि, सामान्य अपवाद के रूप में ऐसे अंशदान का भुगतान दूसरे प्रसव में जुड़वा/तिड़वा जन्म के मामले में पैदा हुए बच्चों के लिए लागू नहीं होगा चाहे भले ही पहले से एक जीवित बच्चा हो।* 18 वर्ष से अधिक तथा 25 वर्ष तक के बच्चे इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे बशर्ते कि वे नियोजित न हों। तथापि, किसी तरह की कठिनाई की स्थिति में, प्रत्येक मामले में, औचित्यपूर्ण कारणों पर ऊपरी आयु सीमा के मामले में यूनिट के प्रधान की सिफारिश के आधार पर विभाग द्वारा छूट दी जाएगी।
4.1(ग)	मानसिक रूप से मंदित/शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे इसके लाभ के पात्र	मानसिक रूप से मंदित/शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे इसके लाभ के पात्र तब तक रहेंगे जब तक कि वे मूल लाभभोगी पर

	तब तक रहेंगे जब तक कि वे मूल लाभभोगी पर निर्भर हैं बशर्ते कि उनकी विकलांगता 40% से अधिक हो।	निर्भर हैं बशर्ते कि *उनकी मानसिक मंदता के कारण विकलांगता को उपरोक्त के अनुसार "अल्प मंदता" की श्रेणी से ऊपर माना गया हो और शारीरिक विकलांगता के मामले में यह 40% से अधिक हो।*
4.1(घ)	मूल लाभभोगी के माता-पिता जो मूल लाभभोगी पर पूर्णतः निर्भर हैं और मूल लाभभोगी के साथ स्थायी रूप से रह रहे हैं और दोनों माता-पिता की सभी स्रोतों से कुल मासिक आय रू. 1500/- से अधिक न हो।	मूल लाभभोगी के माता-पिता जो मूल लाभभोगी पर पूर्णतः निर्भर हैं तथा मूल लाभभोगी के साथ स्थायी रूप से रह रहे हैं और दोनों माता-पिता की सभी स्रोतों से कुल मासिक आय **रु. 4000/-** से अधिक न हो।
4.1 ख (ख).(i)	अंशकालिक रोजगार यदि कोई हो तो संबंधित नियोक्ता द्वारा प्रमाणित होना चाहिए तथा मासिक आय रु. 1500/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।	अंशकालिक रोजगार यदि कोई हो तो संबंधित नियोक्ता द्वारा प्रमाणित होना चाहिए तथा मासिक आय **रु. 4000/-** से अधिक नहीं होनी चाहिए।
4.1 ग	माता-पिता कर्मचारी पर पूर्णतः निर्भर तब माने जाएंगे यदि वे सामान्य रूप से उसके साथ रह रहे हों और यदि उनकी (माता और पिता दोनों की) कुल मासिक आवर्ती आय कर्मचारी के वेतन से अधिक न हो और सभी स्रोतों से रु. 1500/- से अधिक न हो। इस योजना में माता-पिता का प्रवेश भी निम्नलिखित शर्तों के अधीन है। (i) "स्थायी रूप से कर्मचारी के साथ निवास करना" शब्द का तात्पर्य माता-पिता का कैलेंडर वर्ष में कर्मचारी के निवास से 90 दिनों से अधिक समय तक दूर नहीं रहने की स्थिति से है।	कर्मचारी पर माता-पिता पूर्णतः निर्भर तब माने जाएंगे यदि वे *उसके (दोनों माता-पिता के) साथ सामान्य रूप से निवास करते हों, और यदि उनकी कुल मासिक आवर्ती आय सभी स्रोतों से रु. 4000/- से अधिक न हो ।*
10.6	यदि माता-पिता को दो बच्चों से अधिक बच्चे हैं, तो लाभभोगी इस योजना के अंतर्गत स्टाफ स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा प्रमाणित मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर प्रसव-पूर्व, प्रसव -पश्चात उपचार अथवा प्रसवावस्था लाभ के पात्र नहीं होंगे।	हटा दिया गया

13.2	इस योजना के अंतर्गत प्रदान की गई चिकित्सा सेवा के उद्देश्य हेतु , मासिक अंशदान की वसूली की जाएगी। अंशदान की वसूली दिनांक 01.02.1998 से निम्नलिखित दरों से की जाएगी :-	इस योजना के अंतर्गत प्रदान की गई चिकित्सा सेवा हेतु, मासिक अंशदान की वसूली की जाएगी। अंशदान की वसूली निम्नलिखित दरों (रुपए के निकटतम तक) से की जाएगी।
	(क) परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य एवं उनका परिवार रु. 260/- प्रतिमाह	(क) परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य एवं उनका परिवार - रु. 260/- प्रतिमाह
	(ख) विजिटिंग वैज्ञानिक / फेलो / प्रोफेसर तथा उनका परिवार - रु. 260/- प्रतिमाह	(ख) विजिटिंग वैज्ञानिक/फेलो/प्रोफेसर तथा उनका परिवार - रु. 260/- प्रतिमाह
	(ग) ऐसा कोई पद जिसमें वेतन अथवा वेतनमान रु. 18,000/- से कम न हो	(ग) कर्मचारीगण एवं उनके परिवार - मूल वेतन का 1%
	(घ) ऐसा कोई पद जिसमें वेतन अथवा वेतनमान रु. 12000/- से अधिक लेकिन रु. 18,000/- से कम हो - रु. 150/- प्रतिमाह	(घ) सभी प्रशिक्षणार्थी - वजीफे/छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति का 1%
	(ङ) ऐसा कोई पद जिसमें वेतन या वेतनमान रु. 9000/- से अधिक लेकिन रु. 12000/- से कम हो - रु. 100/- प्रतिमाह	
	(च) ऐसा कोई पद जिसमें वेतन या वेतनमान रु. 4000/- से अधिक लेकिन रु. 9000/- से कम हो - रु. 55/- प्रतिमाह	
	(छ) ऐसा कोई पद जिसमें वेतन या वेतनमान रु. 4000 से अधिक न हो - रु. 35/- प्रतिमाह	
	(ज) सभी प्रशिक्षणार्थी- रु. 100/- प्रतिमाह	
नोट सं. 1	अंशदान में दो वर्ष में एक बार वर्तमान दर के 10% की दर से वृद्धि की जाएगी	हटा दिया गया

13.7(क)	अंशदान की वसूली पति अथवा पत्नी में किसी एक से जिसका वेतन अधिक होगा , वसूली जाएगी। पति एवं पत्नी दोनों इस संबंध में संबंधित विवरण लेखा प्रभाग भापअकेन्द्र को संयुक्त घोषणा भेजेंगे ।	इसी प्रकार, उन मामलों में जहां पति और पत्नी दो विभिन्न स्थानो पर इस योजना के दो मूल लाभभोगी हैं, वहां भी अंशदान इसी ढंग से दो अंशदान का भुगतान न करते हुए किया जा सकता है। (अतिरिक्त वाक्य)

एम वेणुगोपालन

(एम. वेणुगोपालन)
अवर सचिव, भारत सरकार

निदेशक, बीएआरसी
निदेशक, कैट
निदेशक, आईजीसीएआर
निदेशक, वीईसीसी
मुख्य कार्यकारी, एचडब्ल्यूबी
स्टेशन निदेशक, आरएपीएस
स्टेशन निदेशक, टीएपीएस

प्रतिलिपिः

बीएआरसी

(i) नियंत्रक
(ii) अध्यक्ष, चिकित्सा प्रभाग
(iii) अध्यक्ष, लेखा प्रभाग एवं आंतरिक वित्त सलाहकार

कैट

(i) मुख्य चिकित्सा अधिकारी
(ii) मुख्य प्रशासन अधिकारी

आईजीसीएआर

(i) संयुक्त नियंत्रक (वित्त एवं लेखा)
(ii) मुख्य प्रशासन अधिकारी
(iii) मुख्य चिकित्सा अधीक्षक

जीएसओ

(i) मुख्य प्रशासन अधिकारी

एचडब्ल्यूबी

(i) आंतरिक वित्त सलाहकार, मुंबई
(ii) निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन), मुंबई
(iii) महाप्रबंधक, कोटा/तलचर/मनुगुरू/बड़ौदा/तूतीकोरिन

एनपीसीआईएल

(i) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, मुंबई
(ii) कार्यकारी निदेशक (वित्त), मुंबई
(iii) निदेशक (कार्मिक), मुंबई
(iv) वरिष्ठ प्रबंधक (आई.आर.), बेलापुर
(v) स्टेशन निदेशक, एमएपीएस

प्रतिलिपि

1) मुंबई स्थित सभी यूनिटों के प्रधान
2) रजिस्ट्रार, टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान
3) मुख्य प्रशासन अधिकारी, टाटा स्मारक केन्द्र
4) सचिव, एईईएस
5) निदेशक, (दक्षिणी क्षेत्र), पखनि, बैंगलौर
6) सभी अधिकारीगण/अनुभाग, पऊवि